बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अतुल कुमार सिंह, आपूर्ति निरीक्षक, भोरे एवं प्रभारी आपूर्ति निरीक्षक, गोपालगंज के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–357 दिनांक–05.05.2025 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ ई–पॉश मशीन के माध्यम से e-KYC का कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली दुकानों पर समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं का पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित नहीं करवाने, बिना आधार सीडिंग वाले सदस्य को निकटवर्ती दुकान पर संधारित ई–पॉश मशीन पर निःशुल्क e-KYC कराने हेतु निदेशित नहीं करने, विभागीय निदेश एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने तथा आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल होने जैसे प्रतिवेदित आरोप के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोपों के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–676 दिनांक–19.05.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 / 19 के संगत प्रावधानों के तहत स्पष्टीकरण / कारणपृच्छा की माँग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य एवं उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके स्पष्टीकरण / कारणपृच्छा को स्वीकार योग्य पाते हुए प्रस्तुत आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

फलतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अतुल कुमार सिंह, आपूर्ति निरीक्षक, भोरे एवं प्रभारी आपूर्ति निरीक्षक, गोपालगंज के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रस्तुत आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश पर प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(गोपालगंज)–04 / 2025– 2676 खाद्य, पटना / दिनांक– 06/10/2025

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, गोपालगंज / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज / अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री अतुल कुमार सिंह, आपूर्ति निरीक्षक, भोरे एवं प्रभारी आपूर्ति निरीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।